<u>प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

<u>कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा</u>

<u>(स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को वित्तीय सहायता)</u>

1. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के उद्देश्य क्या हैं?**
   - कोविद 19 महामारी के प्रकोप से बचाव के लिए कृषि उधारकर्ताओं/कृषि उद्यमियों/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को राहत प्रदान करना।
   - पात्र वर्तमान उधारकर्ताओं को तदर्थ सुविधाओं यथा कृषि आय सृजन गतिविधि को बनाए रखने के लिए कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के जरिए अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करना।
2. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के तहत ऋण के लिए कौन पात्र होंगे?**
   - सभी वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड/कृषि नकदी ऋण/आस्ति समर्थित कृषि ऋण/स्वयं सहायता समूह कृषि नकदी ऋण उधारकर्ता।
   - एसएमए 0 एवं एसएमए 1 खातों (जोखिम श्रेणी 0, 1 एवं 2) सहित संस्वीकृति की तारीख तक के सभी मानक खाते, चाहे उनकी आंतरिक श्रेणी कितनी भी क्यों न हो **(एसएमए 2 पात्र नहीं)**।
3. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत शामिल प्रयोजन क्या हैं?**
   - केवल आय सृजन गतिविधियों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता।
4. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा लेने के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ क्या क्या हैं?**
   - आवेदन-सह-मूल्यांकन
   - कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु संकल्प
   - स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा एक दूसरे के बीच में करार
   - प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत स्वयं सहायता समूहों के वित्तपोषण हेतु करार के अंतर्नियम
   - व्यवस्था पत्र

5. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा योजना की वैधता अवधि क्या है?**
   - यह योजना 30.06.2020 तक लागू होगी (एक भाग अथवा अधिकतम तीन भागों में 31.07.2020 तक ड्राडाउन अनुमत की जाएगी)।
6. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम ऋण कितना है?**
   - अधिकतम ऋण : वर्तमान सीमा का 10%
   - स्वयं सहायता समूह के लिए 5000 रुपए प्रति सदस्य न्यूनतम होगी।
7. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत अपेक्षित मार्जिन कितना है?**
   - शून्य
8. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा की ब्याद दर कितनी है?**
   - 1 वर्ष एमसीएलआर जिसे एक वर्ष के बाद रीसेट किया जाना चाहिए।
   - इस समय लागू ब्याज दर 7.40% प्रति वर्ष है।
9. **स्वयं सहायता समूह-कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा की ऋण सुविधा कितनी है और उसकी अवधि कितनी है?**
   - कृषि मीयादी ऋण-अधिकतम 36 महीने
10. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत प्राप्त ऋण के प्रतिभूति मानदंड क्या हैं?**
    - **प्राथमिक प्रतिभूति :** बैंक के ऋण से खरीदी गई आस्तियों का दृष्टिबंधक एवं स्टॉक/अन्य आस्तियों पर ऋण भार।
    - **संपार्श्विक प्रतिभूति :** शून्य।
11. **कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत लिए गए ऋणों के लिए निर्धारित चुकौती अवधि कितनी है?**

- चुकौती अवधि : 3 वर्ष। छह माह की अधिस्थगन अवधि के बाद 30 मासिक समान किस्त शुरू होंगे।

12. स्वयं सहायता समूह-कॉमन कोविद संकटकालीन ऋण सुविधा के अंतर्गत लिए गए ऋणों के प्रोसेसिंग शुल्क/निरीक्षण/पूर्व-भुगतान/दांडिक ब्याज शुल्क क्या हैं?

- शून्य